ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

वर्धा (महाराष्ट्र)

कार्यवृत्त

(आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की नवीं बैठक)

दिनांक: 20 दिसंबर, 2017 **समय : 11.00 बजे**

स्थान : सभा-कक्ष, भाषा विद्यापीठ

विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा-442005

कार्यवृत्त

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की नवीं बैठक दिनांक 20 दिसंबर, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभाकक्ष में माननीय कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य एवं बाह्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे:-

प्रो.गिरीश्वर मिश्र, कुलपति
प्रो. आनंद वर्धन शर्मा, समकुलपति
प्रो. मनोज कुमार
प्रो. एल. कारूण्यकरा
प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
प्रो. अनिल कुमार राय
डॉ. मैत्रेयी घोष
डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय
डॉ. रामानुज अस्थाना
डॉ. राजीव रंजन राय
श्री क़ादर नावाज़ ख़ान
प्रो. आनंद प्रकाश
डॉ. अशोक पावडे
श्री शावेज खान
श्री सुशील बी. पखिडे, विशेष आमंत्रित
डॉ. शोभा पालीवाल

बैठक में प्रो. अरविंद कुमार झा, डॉ. अन्नपूर्णा सी चेरला धारणाधिकार अवकाश पर होने के कारण एवं डॉ. प्रफुल्ल काले तथा श्री भरत महोदय अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके।

आरंभ में प्रकोष्ठ की समन्वयक डॉ. शोभा पालीवाल ने अध्यक्ष तथा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया। कार्यसूची पर विस्तृत विचार- विमर्श के बाद सर्व सम्मति से लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है-

मद संख्या 01 - आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्राकोष्ठ (आईक्यूएसी) की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि एवं अनुमोदन।

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की आठवीं बैठक माननीय कुलपति महोदय प्रो. गिरीश्वर मिश्र की अध्यक्षता में दिनांक 26 अप्रैल, 2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे भाषा

विद्यापीठ सभागार में सम्पन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त की प्रति माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी।
निर्णय : सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 02 - आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की आठवीं बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुपालन मे की गई कार्यवाही।

निर्णय : प्रकोष्ठ ने उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ ग्रहण कीं।

मद संख्या 03 - सत्र 2017-18 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना। (सूचनार्थ विषय)।

निर्णय : प्रकोष्ठ ने सूचना ग्रहण की।

माननीय कुलपति महोदय ने अकादमिक सत्र 2017-18 की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि शीघ्र ही विश्वविद्यालय का अकादमिक ऑडिट कराया जाएगा। प्रो. आनंद प्रकाश ने प्रस्तावित कार्ययोजना के बिंदु संख्या 8 पर अपने विचार देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु National Skill Development Corporation. (NSDC) से सम्पर्क करके उनके कौशल के क्षेत्र के अनुसार एक प्रस्ताव तैयार कर आर्थिक सहयोग हेतु भेजा जाए। हम उन्हें विश्वविद्यालय में भी आमंत्रित कर सकते हैं और उनके सहयोग से सघन कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता को ध्यान में रख कर भाषा, अनुवाद, संचार और टूरिज्म के क्षेत्र को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया।

प्रो. मनोज कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय ने पाँच गावों को गोद लिया है। मुंबई के **'सहयोग फाउंडेशन'** तथा **'मिशन समृध्दि फाउंडेशन'** से मिलकर अपनाए गए पाँच गाँवों में विकास का कार्य चल रहा है। विद्यार्थियों को इन परियोजनाओं के कार्यों के लिए उन गाँवों में भेजा जाता है।

मद संख्या 04 - विश्वविद्यालय के कार्यरत शैक्षणिक कर्मियों के Career Advancement Scheme (CAS) अंतर्गत आवेदनों पर विचार।

निर्णय: श्री राजेश लेहकरपुरे, सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग को स्टेज 1 से 2, डॉ. सतीश पावड़े, सहायक प्रोफेसर, प्रदर्शनकारी कला विभाग, डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक प्रोफेसर, डॉ. शंभू जोशी, सहायक प्रोफेसर, एवं डॉ. शैलेश मरजी कदम, सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय के स्टेज 2 से 3 के सीएएस के प्रकरण पर विचार करने के लिए प्रो. मनोज कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट बैठक में रखी गई। आईक्यूएसी ने प्रारंभिक जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार कर उसे स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया कि स्टेज 1 से 2 एवं 2 से 3 के प्रकरणों को आगामी CAS Screening Committee के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाए। तत्पश्चात् कार्यपरिषद में रखने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 05 - दिनांक 7.11.2016 एवं 8.11.2016 में समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उमेश कुमार सिंह के केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय में धारणाधिकार की अवधि में की गई सेवाओं के Leave Salary Contribution एवं Pension Contribution की राशि म.गां.अं.हि.वि, वर्धा में प्राप्त हो गई है। अत: प्रारंभिक जाँच समिति की अनुशंसा पर स्टेज 2 से 3 पर प्रोन्नति हेतु डॉ. उमेश कुमार सिंह के आवेदन पर पुनर्विचार।

निर्णय : प्रारंभिक जाँच समिति की रिपोर्ट एवं अनुशंसा पर डॉ. उमेश कुमार सिंह, सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग को स्टेज 2 से 3 पर प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया। इनके प्रकरण को आगामी CAS Screening Committee के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाए। तत्पश्चात् कार्यपरिषद में रखा जाए।

मद संख्या 06 - डिप्लोमा, एडवास्ड डिप्लोमा एवं पी जी डिप्लोमा के इनटेक पर विचार-विमर्श।

निर्णय : इन पाठ्यक्रमों मे पूर्व के वर्षों मे प्रवेश संख्या काफी कम रही है। अत: पिछले अकादमिक वर्षों में हुए प्रवेश के आधार पर विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक स्वयं निर्णय करके सीटों का निर्धारण करें। इस प्रकरण को प्रवेश समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखा जाए। इसके बाद विद्यापरिषद में रखकर सत्र 2018-19 के लिए सीटों की संख्या सुनिश्चित कर ली जाए।

मद संख्या 07 - गैरशैक्षणिक कर्मचारियों हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम पर चर्चा।

निर्णय : Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) से संपर्क करके ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जा सकते हैं। समय-समय पर कार्यालय कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। प्रशासन विभाग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रस्ताव एवं रूपरेखा तैयार करे। कुलसचिव, श्री क़ादर नावज़ ख़ान ने बताया कि हम अभी चार्टेड एकाउटेंट के लिए तीन दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर चुके हैं। दो माह बाद और कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि एक अकादमिक वर्ष में दो ट्रेनिंग प्रोग्राम आवश्य आयोजित किए जाने चाहिए। इसकी फंडिग के लिए एम.एच.आर.डी. से भी संपर्क किया जाए।

मद संख्या 08 - एक वर्षीय एक्जक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारम्भ करने पर विचार-विमर्श।

निर्णय : एक वर्षीय एक्जक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एक वर्षीय मैंनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जा सकता है। दलित अध्ययन, स्त्री अध्ययन, गांधी एवं शांति अध्ययन एवं समाज कार्य अध्ययन विषयों को मिलाकर **'समाज एवं सामुदायिक विकास'** नाम से पाठ्यक्रम चलाया जा सकता है। इसके लिए एक समिति गठित की जाए। समिति अलग से चर्चा करके प्रस्ताव तैयार करे। यह प्रोग्राम शाम के समय या रविवार को भी चलाया जा सकता है ताकि कर्मचारी भी शामिल हो सकें।

मद संख्या 09 - Corporate Social responsibility (CSR) के अंतर्गत अन्य स्त्रोतों से अनुदान प्राप्त करने पर विचार-विमर्श।

निर्णय : Corporate Social responsibility (CSR) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो विचार विमर्श कर इस दिशा में कार्य करे एवं अनुदान प्राप्त करने की संभावनाओं के लिए प्रयास करे।

मद संख्या 10 - अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव/सुझाव।

प्रो. अनिल कुमार राय ने प्रस्ताव रखा कि ऐसे गरीब विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय में पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं तथा काम करने के इच्छुक भी हैं। उनके लिए '**अर्न बाई लर्न**' सिस्टम अपना सकते हैं। इस तरह के विद्यार्थियों के लिए 2-3 घंटो का काम देकर उस काम का पैसा दिया जा सकता है ताकि वे अपना पढ़ाई का खर्चा उठा सकें। इस तरह के विद्यार्थियों को टायपिंग, लाइब्रेरी, गार्ड आदि का काम दिया जा सकता हैं। इस संदर्भ में प्रतिकुलपति महोदय ने कहा कि पत्रिकाओं आदि की टाइपिंग के लिए प्रति पृष्ठ की स्वीकृत दर का भुगतान देकर उन्हें टाइपिंग का काम दे सकते हैं।

माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि प्रशासन अपनी आवश्यकतानुसार कार्यों की सूची एवं पंजीयन फार्म वेबसाइट पर अपलोड कर दे। जिस विद्यार्थी को जिस काम की जरूरत होगी उसके लिए वह अपना पंजीयन कराएगा तथा एक अंडरटेकिंग भी देगा जिससे आगे जाकर वह किसी प्रकार की शिकायत न करे। समिति ने इस विचार के साथ सहमति व्यक्त की।

बैठक अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् संपन्न हुई।

6/11/18

शोभा पालीवाल
समन्वयक, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

प्रो. गिरीश्वर मिश्र
कुलपति, म.गां.अं.हिं.वि.वि., वर्धा